

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

मीठापुर, पटना-800 001 (बिहार)

Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

अधिसूचना

पटना, दिनांक 09.09.2023

अ.सं.संबं-6032/2023-601/ बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की तदर्थ संबद्धता समिति की बैठक में दिनांक-11.08.2023 को गैर-सरकारी नर्सिंग महाविद्यालयों द्वारा संबद्धता हेतु समर्पित आवेदनों पर सम्यक् विचारापरांत लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित सूची के कॉलम सं० 2 में अंकित गैर-सरकारी नर्सिंग महाविद्यालयों को कॉलम सं० 4 में अंकित पाठ्यक्रम एवं कॉलम 5 में अंकित नामांकन क्षमता के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से सत्र-2023-24 हेतु औपबंधिक संबद्धता (Provisional Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

SI No	Name of Nursing College	District	Course	Intake Capacity
1	2	3	4	5
1	Taluka Institute of Nursing	Madhubani	B.Sc. Nursing	50
2	Tarul Pranay Institute of Nursing	Madhubani	B.Sc. Nursing	60
3	B.L.D. Institute of Nursing	Madhubani	B.Sc. Nursing	60
4	Swami Vivekanand Nursing School	Jamui	Post Basic B.Sc. Nursing	60
5	Kingway Technical Institute (College of Nursing)	Kaimur	B.Sc. Nursing	60
6	Shri Sai College of Nursing and Paramedical	Patna	Post Basic B.Sc. Nursing	60

नियम एवं शर्तें:-

1. औपबंधिक संबद्धता "Regulation for Provisional Affiliation and Fee for Affiliation" की धारा 8 में निहित प्रावधानों के तहत सशर्त प्रदान की जा रही है।
2. औपबंधिक संबद्धता सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किए जाने एवं अन्य शर्तों के अधीन होगी।
3. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना तथा बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना से सत्र-2023-24 हेतु मान्यता प्राप्त नहीं की गई है, तो वैसे महाविद्यालय/संस्थान नामांकन लेने के पूर्व स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना तथा बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना से सत्र-2023-24 हेतु मान्यता प्राप्त कर लेंगे तथा इसकी एक प्रति यथाशीघ्र विश्वविद्यालय में समर्पित करेंगे।
4. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत सत्र-2022-23 का संबद्धता पत्र समर्पित नहीं किया गया है, तो वैसे महाविद्यालय/संस्थान नामांकन लेने के पूर्व पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत सत्र-2022-23 का संबद्धता पत्र समर्पित करेंगे।
5. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा आवेदन के साथ Application Fee तथा Inspection-Cum-Processing Fee के रूप में निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा किया गया है, तो उन्हें निर्देश दिया जाता है कि अविलंब निर्धारित शुल्क की राशि विश्वविद्यालय में जमा कर दें।
6. सूची में अंकित सभी महाविद्यालयों/संस्थानों को निर्देश दिया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Affiliation Fee और Endowment Fund की राशि विश्वविद्यालय द्वारा माँग किए जाने पर जमा करेंगे।
7. संबन्धित महाविद्यालय/संस्थान को निर्देश दिया जाता है कि नामांकित छात्र-छात्राओं के विश्वविद्यालय में पंजीयन के पूर्व वांछित कागजात/शुल्क विश्वविद्यालय कार्यालय में अचूक रूप से समर्पित कर देंगे।

निर्देश

8. विश्वविद्यालय / Concerned Apex Regulatory Body / बिहार सरकार आदि द्वारा निर्धारित न्यूनतम आधारभूत संरचना एवं अन्य मापदण्डों की जाँच हेतु विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय / संस्थान का किसी भी कार्य दिवस को औचक निरीक्षण किया जा सकता है।
9. महाविद्यालय / संस्थान बिहार सरकार / बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय / Concerned Apex Regulatory Body के नियमों / विनियमों आदि का पालन करने हेतु बाध्य होगा।
10. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधिनियम / परिनियम / विनियम आदि का पालन करना महाविद्यालय / संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा।
11. महाविद्यालयों / संस्थानों के द्वारा किसी प्रकार का गलत / भ्रामक सूचना देकर अथवा तथ्य / सूचना छिपाकर औपबंधिक संबद्धता प्राप्त करने पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

कुलपति के आदेशानुसार

वि.उ.श्री
8/9/2023

(विमलेश कुमार झा)

कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं.-6032 / 2023-601 /

पटना, दिनांक 09.09.2023

प्रतिलिपि—प्राचार्य / निदेशक / सचिव, संबंधित नर्सिंग महाविद्यालय / संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वि.उ.श्री
8/9/2023

कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं.-6032 / 2023-601 /

पटना, दिनांक 09.09.2023

प्रतिलिपि— माननीय मुख्यमंत्री, बिहार—सह—कुलाधिपति, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना / अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / सचिव, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली / कुलसचिव, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना / सभी प्रबंधक, जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

वि.उ.श्री
8/9/2023

कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं.-6032 / 2023-601 /

पटना, दिनांक 09.09.2023

प्रतिलिपि—डीन(अकादमिक) / डीन(आयुष) / डीन(परीक्षा) / परीक्षा नियंत्रक / वित्त पदाधिकारी / कुलपति के निजी सचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

वि.उ.श्री
8/9/2023

कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना